न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार आर.ए.एस

मुकदमा न0 27/2008

प्रार्थी :–

1. श्रीमति गीतादेवी पुत्री नेनारामजी परिहार जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चम्पालाल पुत्र नेनाराम परिहार
2. पुखराज पुत्र नेनाराम परिहार
3. दौलतराज पुत्र नेनाराम परिहार सभी जाति माली निवासी वानर चौक के पास गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा
4. श्रीमती नारायणी पुत्री नेनाराम पत्नि दौलतराम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
5. राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
6. प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र चम्पालालजी अग्रवाल
7. श्रीमति निर्मलादेवी पत्नि राजकुमार सिंहल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा।
8. मोहनलाल पुत्र छोगालालजी कौम माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित वकील :– विप्रार्थीगण जेठाराम सिंहल

आदेश दिनांक 21.01.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की शामालाती संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा न0 333 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा नं 340 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा कुल 14 बीघा 11 विस्वा भूमि सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा उपखण्ड बालोतरा में स्थित है, जिसमें प्रार्थीनी का 1/5 वां हिस्सा है, एवं जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी नेनाराम की जाईन्दा पुत्री है, एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 स्वर्गीय नेनाराम के पुत्र है, एवं विप्रार्थीनी सं. 4 श्रीमति नारायणी पुत्री है, प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पिता नेनाराम की मृत्यु करीब सात–आठ माह से पूर्व होने के पश्चात विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने राजसव हल्का पटवारी से मिलावट कर नामान्तरकरण केवल मात्र विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 ने अपने नाम भराकर स्वीकृत करा दिया, जबकि कानूनः प्रार्थीनी श्रीमति गीता स्वर्गीय नेनाराम की जाईन्दा पुत्री होने से

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

वैधानिक उतराधिकारी है, प्रार्थना पत्र में दर्शित पद सं. 1 में प्रार्थीनी का 1/5 वां हिस्सा है,प्रार्थीनी को दिनांक 12.2.2008 को पता चला की विप्रार्थीगण सं0 1 से 3 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर केवल मात्र अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करवा दिया है, तब प्रार्थीनी ने विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को उसके हिस्से की भूमि 1/5 वां हिस्सा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने एवं राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कराने का कहा तो विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 नाराज हो गये एवं दिनांक 12.2.2008 को प्रार्थीनी को धमकी दी यदि प्रार्थीनी ने स्वर्गीय नेनाराम की कृषि भूमि में हिस्सा मांगा एवं राजस्व रिकार्ड में अपना 1/5 वां हिस्सा की खातेदारी कराने की कार्यवाही की तो विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 प्रार्थना पत्र के पद सं1 मे वर्णित खसरा ल0 333 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा न. 340 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा सरहद मौजा जेरला का बेचान अपरिचित व्यक्ति को कर देगे, मगर प्रार्थीनी को उसके हिस्से की 1/5 वां हिस्सा नहीं देगें, जबक प्रार्थीनी स्व0 नेनाराम की वैधानिक उतराधिकारी है, एवं प्रार्थीनी का उक्त खसरान की भूमि में 1/5 वे हिस्से पर कब्जा काश्त है एवं प्रार्थीनी वैधानिक तौर से अपना 1/5 वां हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारिणी है, इस प्रकार प्रार्थीनी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जिससे विप्रार्थीगण को उक्त अवैध कृत्य से रोकने हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय मे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व दोराने दावा इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वयं उनके ऐजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के ख0 न0 333 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा न.340 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी तरह का मन गठन कानून हाथ मे लेकर, अवैध एवं अनाधिकृति तरीके से अतिचार एवं कोई दखल /हस्तक्षेप स्वय प्रार्थी के विधि पूर्ण कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि मे अवैध अतिचार कर देते है तो प्रार्थीनी को अपार अपूर्णीय होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे करना सम्भव नहीं होगा। यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिकृत दखल/हस्तेक्षप करने से निषेधित एवं निवारित किया जाये तो विप्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होगी॥ इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्वान्त काबिज खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीनी के हक/ पक्ष मे ही विद्यमान है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए । व दिनांक 03.06.2008 की और से प्रार्थीगणके आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0क0अ0 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब विप्रार्थीगण की और से पेश किया गया। प्रार्थीनी का उक्त कृषि भूमि या उसका कोई भी अंश प्रार्थीनी के साथ सामलाती व संयुक्त खातेदारी का होने या प्रार्थीनी का कब्जा काश्त होने के सभी कथन पूर्णतया गलत है। प्रार्थीनी ने वादपत्र या अपने आवेदन पत्र

Scanned by CamScanner

के साथ ऐसा कोई ऐसा कोई दस्तावेज या खसरा गिरदावरी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। दावा दायर के दिन या उससे पहलें कभी भी प्रार्थीनी का काई कब्जा न तो रहा और न आज ही है। विप्रार्थी संख्या. 08 मोहनलाल पुत्र छोगालाल जाति माली निवासी बालोतरा ने दिनांक 31.07.2019 को प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर जाहिर किया कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 चम्पालाल, पुखराज, दोलतराज का रहा था। प्रार्थीनी का उक्त भूमि में कभी 1/5 हिस्सा या अन्य कोई हिस्सा नही रहा है।दौराने दावा किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीनी की तुलना में विप्रार्थी संख्या 8 जो काबिज रेकर्डेड खातेदार है को अधिक असुविधा व क्षति होगी तथा विप्रार्थी संख्या 8 अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रह जायेगा। इस कारण दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई आधार प्रार्थीनी के पक्ष में विद्यमान नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस को सुना व दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर बहस की गई। प्रार्थीनी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पिता की पृतैक भूमि है व प्रार्थीनी श्रीनैनाराम की जायन्दा पुत्री है व वैधानिक उत्तराधिकारी है, अतः प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि में 1/5 वें हिस्से की अधिकारीणी है। विप्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से मिल कर वादग्रस्त भूमि में केवल विप्रार्थीगण 1 से 3 का नाम अमलदरामद करवा दिया गया व प्रार्थीनी को उसके विधिक हक से वचिंत कर दिया गया, अतः प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विरूद्व विप्रार्थीगण के पाने की अधिकारिणी है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रार्थीनी के हक में पारित नहीं किया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में है अतः विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो वादग्रस्त भूमि के 1/5 भाग में प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अतिचार ना करें व ना ही प्रार्थीनी की भूमि का हक हिस्से की भूमि का बेचान करें। विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण 1से 3 के पिता नैनाराम के नाम दर्ज थी, वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी के दादा का नाम कभी भी राजस्व रेकर्ड में नहीं रहा । विप्रार्थीगण संख्या 5,6,7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि विप्रार्थीगण 5,6,7 सद्भावी केता है व उन्होने वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदारन से भूमि कय की है। प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक हाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया व न ही प्रार्थीनी द्वारा अपने दादा के नाम की जमा बन्दी पेश की गयी। विप्रार्थीगण 5,6,7 द्वारा वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड खातेदारान से ली गई, व उस विक्रय विलेख को कही भी चुनौती नहीं दी गयी है। विप्रार्थीगण 5–7 के योग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी 2013 (2) आर0आर0टी 828,

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

रामेशी बनाम कजोड एण्ड अन्य पेश किया कि "NO T-I can be gramted against the recorded khatedar"

उभय पक्षों की बहस पर मनन करने व दस्तावेजात का अवलोकन करने व न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार करने पर हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेंटलमेन्ट प्रार्थीनी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज की हुई थी। विप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में बार बार यही कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति नहीं है अतः प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के पिता नैनाराम द्वारा जरिये वसीयतनामा वादग्रस्त भूमि के अधिकारों का निस्तारण किया गया व वादग्रस्त भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की गयी । प्रार्थीनी द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के अधिकारों का निस्तारण जरिये वसीयतनामा नहीं किया जा कर मात्र फौतेदगी नामातंरणकरण के जरिये किया गया, जो कि नामातंरणकरण संख्या 1254 दिनांक 5.06.07 के अवलोकन से स्पष्ट है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने या ना होने का प्रश्न है, यह पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों व उभय पक्षों की बहस से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेंटलमेन्ट प्रार्थीनी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी व उसी आधार पर प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक सम्पति होने का कथन किया गया व अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया गया। घोषणा के बिन्दु का निस्तारण चूंकि दावे में बाद साक्ष्य किया जाना है व वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति मानी जावे या नहीं तथा वादग्रस्त भूमि में निहित अधिकारों का निस्तारण जरिये वसीयतनामा किया जा सकता था या नहीं आदि प्रश्नों का निर्णय बाद साक्ष्य व विवेचन के दावे के निर्णय में किया जाना है। दौराने दावा यदि वादग्रस्त भूमि का बेचान या वादगस्त भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो ये प्रार्थीनी के हितो के विपरीत होगा, क्यों की प्रार्थीनी द्वारा श्री नैनाराम के वैधानिक उताराधिकारीणी की हैसियत से दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथत दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु स्पष्टतया प्रार्थीनी के पक्ष में जाते है, अतः उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष व विप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये जाते है व अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 333 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा व खसरा न0 340 रकबा 9 बीघा 13 विस्वा कुल 14 बीघा 11 विस्वा भूमि सरहद मौजा जैरला तहसील पचपदरा उपखण्ड बालोतरा की भूमि में प्रार्थीनी के हक हिस्से 1/5 वां भाग जिसकी घोषणा हेतु प्रार्थीनी ने दावा पेश किया है, में विप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एवम् विवाद उत्पन्न नहीं करे व वाद के निर्णय तक उक्त भूमि के 1/5 हिस्से का बेचान बक्सीस का हस्तानान्तरण नहीं करें।खर्चा फरीकने अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा